



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 226-पारे०अनु०-04/पाद्राकालि-2023-20/2009 टी०सी०-111

दिनांक 05 अप्रैल, 2023

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11),

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०,

मेरठ/आगरा/झाँसी/प्रयागराज/गोरखपुर/लखनऊ।

विषय: **संघ के वार्षिक अधिवेशन-2023/केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक/चुनाव हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि ट्रान्समिशन कार्पोरेशन के पत्रांक-153-पारे०अनु०-04/पाद्राकालि-2023-20/2009 टी०सी०-111 दिनांक 13 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत विशेष आकस्मिक अवकाश को निरस्त करते हुए, विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, उ०प्र० के केन्द्रीय महामंत्री, लखनऊ द्वारा पुनः यह सूचित किया है कि संघ का वार्षिक अधिवेशन-2023 आगामी दिनांक 12 अप्रैल, 2023, बुधवार को कस्तूरबा सभागार, गांधी भवन, कैसरबाग, लखनऊ तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक/चुनाव आगामी दिनांक 13 अप्रैल, 2023, गुरुवार को 6-नवीन मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ में आयोजित होगा। उन्होंने अनुरोध किया है कि संघ के उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आगामी दिनांक 12 एवं 13 अप्रैल, 2023 को उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० एवं उसके अधीनस्थ विभिन्न पारेषण कार्यालयों में तैनात आशुलेखक (शिविर सहायक)/संघ के सदस्यों को "विशेष आकस्मिक अवकाश" प्रदान कर दिया जाए।

संघ के उपरोक्त आग्रह के संदर्भ में मुझे यह अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-3488बी/एसईबी/एस-17(8एच)/78 दिनांक 05.12.1983 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत संघ के साधारण सदस्यों को मात्र दिनांक 12.04.2023 एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यों को दिनांक 12.04.2023 और 13.04.2023 (अर्थात् दो दिन) का "विशेष आकस्मिक अवकाश" उन्हें आवंटित कार्यों की आवश्यकता एवं आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा (प्रारूप आवेदन-पत्र पर) स्वीकृत किया जायेगा।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी संगठन के सदस्यों, जो उक्त अधिवेशन में सम्मिलित होना चाहें, को उनके व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र पर "विशेष आकस्मिक अवकाश" पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-3488बी/एसईबी/एस-17(8एच)/78 दिनांक 05.12.1983 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-5948(औ०सं०)-17/पाकालि/03-188ए०एस०/96 दिनांक 31.12.2003 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-5820 (औ०सं०)-17/पाकालि/03-188ए०एस०/96 दिनांक 04.12.2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत करने तथा उन कार्मिकों की पदवार सूची, जिन्हें उक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा, कार्पोरेशन मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-111)

संख्या: 226 (i)-पारे०अनु०-04/पाद्राकालि/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
2. महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०।
5. अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कार्पोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. केन्द्रीय महामंत्री, विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, उ०प्र० को उनके पत्र संख्या-19/वि०प०आ०संघ/अधि०-2023/2023, दिनांक 31.03.2023 के संदर्भ में।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण-111)

राज्य सभा

विषयगत पूर्व के सभी जमिंदारों का प्रतिग्रह करते हुए परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कर्मचारों प्रतिनिधियों को वार्षिक सामान्य सभा एवं केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति को बैठकों में भाग लेने के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश को स्वीकृति हेतु परिषद निम्नलिखित मार्ग-दर्शिका संदर्भ निर्धारित करते है:-

- (1) विशेष आकस्मिक अवकाश केवल परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के पथार्थ (Bonafide) कर्मचारी सदस्यों को वार्षिक सामान्य सभा एवं केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति को बैठकों में भाग लेने के लिये ही स्वीकृत किया जाएगा। यह पंजीकृत यूनियनों को यह सुविधा अन्य किसी यूनियन कथन पेट्र रोल के साथ संयुक्त बैठकों हेतु प्राप्त न होगी।
- (2) इस प्रकार का विशेष आकस्मिक अवकाश किसी भी विशिष्ट पंजीकृत ट्रेड यूनियन को वर्ष में केवल एक बार वार्षिक सामान्य सभा के लिये व एक बार केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति के लिये स्वीकृत किया जाएगा।
- (3) विशेष आकस्मिक अवकाश वार्षिक सामान्य सभा के लिये दो दिन एवं केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति के लिये एक दिन से अधिक न होगा।
- (4) पंजीकृत ट्रेड यूनियन को परिषद के अधिनार्थ विशेष आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश की जाने की तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व इस उद्देश्य के लिये निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में आवेदन करना होगा।
- (5) परिषद के इस सम्बन्ध में स्वीकृति अवधि निर्गल हो जाने के उपरान्त कर्मचारी प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदत्त किये जाने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत करने के लिये अनुलग्नक-2 के प्रारूप में प्रस्तावित करना होगा।
- (6) कोई कर्मचारी/ट्रेड यूनियन अधिकृत विशेष आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते है। यह अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा सदन सेवा को आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही स्वीकृत किया जाएगा तथा इसका पूर्ण निरूपण निम्न लिखित सम्बन्धित अधिकारी होगा।
- (7) उपर्युक्त प्रस्ताव (6) के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य सभा को बैठक में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश उस प्रांतीय/राज्य में कार्यरत कुल कर्मचारियों को रोकना के 20% से अधिक प्रतिनिधियों को देना नहीं होगा। इसी भाँति पथार्थ कर्मचारी प्रतिनिधियों को केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति में भाग लेने हेतु केवल प्रांतीय बैठक के दिन के लिये दो अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

- (8) विवाद की स्थिति में कि किस/किन कर्मचारियों की अयकरा प्रदान किया जाय, का निर्णय स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव (1) से (7) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानीय शाखा के पंजीकृत ट्रेड यूनियन के परामर्श से किया जायेगा ।
- (9) उक्त प्रस्तावों के प्रावधानों में निहित किसी कर्मचारी की अयकरा खींचती हो जाने पर अयकरा अर्थात् को लागू करने में अनुसूचक-आदेश में निहित प्रावधानों अन्तर्गत परिस्थितियों, अपरिहार्य व विशेष कारणों से देय विशेष आश्वासिक अयकरा में से स्वीकृत अयकरा उस सीमा तक का प्र द दिया जायेगा ।
- (10) उपर्युक्त को छोड़कर, शैड्यूल, मध्यम, क्षेत्रीय व प्रगोणा स्तर को वेतनों के लिये, जहाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिये किसी प्रकार का विशेष आश्वासिक अयकरा देय न होगा ।

2- यह मार्ग दर्शिका सामान्यतया परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों पर लागू होगी । गैर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य हेतु विशेष आश्वासिक अयकरा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार परिषद सुरक्षित रखते हैं ।

3- परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा-संघों के सम्बन्ध में आदेश मध्यक रूप से निर्गत किये जायेंगे ।

4- कृपया इन आदेशों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ज्ञान में लगी अनुमतिन देत ला दिया जाय ।

अध्या

फै. 13488 (4) जो/ सं. वि. 10. 10 (ओ. सं. - 17) - 8 एच/ 78 न. दि. नं. 1/83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के रूप में जारी करने हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राजा विद्युत परिषद ।
- 2- मुख्य सेवाधिकारी, उत्तर प्रदेश राजा विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिराज्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राजा विद्युत परिषद ।
- 4- समस्त क्षेत्रीय सेवाधिकारी, /परियोजना सेवा अधिकारी, उपप्र. राजा वि. परिषद
- 5- समस्त थरिड कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजा विद्युत परिषद
- 6- समस्त अधिकारी-कर्म /अनुभाग, परिषद मुख्यालय ।
- 7- परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों ।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)
 (उत्तर प्रदेश राजा वि. परिषद) 3/1/83

संख्या- 5948-औस-17/पाकालि/2003-188ए०ए०/96

दिनांक 31 दिसम्बर, 2003

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3488-बी/राविप (औस-17) -8एच०/78 दिनांक 5-12-1983 से प्रतीकृत श्रम सघों के कर्मचारी सदस्यों/प्रतिनिधियों को वार्षिक अधिवेशन एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। निर्गत नियंत्रक के अनुलग्नक-दो पर ही श्रम सघों के सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही नियंत्रक अधिकारी द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की नीति है।

इस सम्बन्ध में कालान्तर में यह अनुभव किया गया है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5-12-1983 के अनुलग्नक-दो के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अधिवेशन/सम्मेलनों हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और न ही इस प्रकार का कोई अभिलेखीय प्रमाण रखा जा रहा है। परिणामस्वरूप कर्मचारी वर्ष में विभिन्न संगठनों के अधिवेशनों में अवकाश का लाभ उठा लेते हैं।

अतः पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3488-बी/राविप(औस-17)-8एच/ 78 दिनांक 5-12-1983 के अनुलग्नक-दो की प्रति संलग्न करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक प्रतीकृत श्रम/सेवा संगठन को अधिवेशन/सम्मेलन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की शर्तों में संगठन के प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक-दो) में आवेदन प्राप्त करके ही विशेष आकस्मिक अवकाश नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अनुमत्त किया जाय तथा उसे कार्यालय अभिलेख में इसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार आकस्मिक अवकाश का रिकार्ड रखा जाता है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कर्मचारी को श्रम/सेवा संगठन के अधिवेशन हेतु वर्ष में केवल एकबार ही अधिवेशन/कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश के उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

उक्त आदेशों का कड़ाई एवं निष्ठापूर्वक अनुपालन प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 5948-औस-17/पाकालि/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 4, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
- 6- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०।

- 8- समस्त उपमहाप्रबन्धक (लेखा/निधि/सम्प्रदा), उपमुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 9- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 10- समस्त आदेशासी अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 11- समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिबिर, उ०प्र०पा०का०लि०।
- 12- पावर कारपोरेशन के समस्त श्रम/सेवा संगठन।
- 13- कट फाइल।

आज्ञा से,



(के० सी० सक्सेना)
कार्मिक अधिकारी

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh, India - Lucknow)

राजिष्ठ संख्या, 14-आशांक भाग
लखनऊ-220 001

संख्या- 5820-आस-17/पाकाति/04-188एएस/98

दिनांक : 04-दिसम्बर, 2004


प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ / दक्षिणांचल, वि०वि०नि०लि०, आगरा।
परिचयांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ / पूर्वांचल, वि०वि०नि०लि०, वाराणसी /
प्रबन्ध निदेशक, फील्डको, कानपुर।
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप-महाप्रबन्धक उ०प्र० पा० का० लि०।
महाप्रबन्धक (लेखा / निधि / सामग्री) उ०प्र० पा० का० लि०।

विषय : श्रम / सेवा संघों के वार्षिक महाधिवेशन हेतु विशेष आकरिषक अवकाश स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-5818-आस-17/ पाकाति/2003-188एएस/98 दिनांक 31.12.2003 की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-3488-सी/शविम/आस-17-8एच/78 दिनांक 05.12.1993 में विहित आदेशों के व्यवस्थाओं के अर्थात् पंजीकृत श्रम/सेवा संघों के कर्मचारियों/सदस्यों/प्रतिनिधियों/संघ/संगठन के वार्षिक अधिवेशन एवं केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकरिषक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में ऐसा अनुभव किया गया है कि मुझ कर्मियों द्वारा कई श्रम/संगठनों के अधिवेशनों में विशेष आकरिषक अवकाश का उपयोग कर लिया जाता है, जो नियमानुसार नहीं है। अतः मुझे पुनः यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक पंजीकृत श्रम/सेवा संगठन को वार्षिक अधिवेशन/संगठन हेतु विशेष आकरिषक अवकाश स्वीकृत किये जाने की दृष्टि में संगठन के प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से उचित कारपोरेशन आदेश दिनांक 31.12.2003 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करके विशेष आकरिषक अवकाश वर्ष में केवल एक बार व एक संगठन के अधिवेशन में भाग लेने हेतु अनुमति किये जाये तथा इस अवकाश की प्रतिष्ठित कालवधि अगिलेखों में रखी जाए। कृपया इन आदेशों का कन्साई एवं निष्ठापूर्वक अनुपालन प्रत्येक नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।


भवदीय,


(एल०आर० साटव)
उप-महाप्रबन्धक (ओएस०)

पृष्ठांक संख्या- 5820(1)/पाकाति-आस-17-04, तददिनांक।

- (1) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
समस्त उप-महाप्रबन्धक (लेखा/निधि/सामग्री), उप-मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि०।
- (2) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि०।
- (3) पावर कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/अनुगम/शिविर।
- (4) समस्त श्रम/सेवा संगठन।
- (5) कट फाइल।

आज्ञा से,


(कौशन चन्द्र सक्सेना)

परिषदाज्ञा संख्या 4388-बी/राविप(औस-17)-8एच/78 दिनांक 5-12-1983 का अनुलग्नक-दो
(सशोधित प्रारूप)

सेवा में,

महोदय,

निवेदन है कि मैं (श्रम/सेवा सघ) का सदस्य हूँ जिसका/जिसकी
वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक (स्थान का नाम) दिनांक को
हा रहा है/रही है। मैं अनुग्रहीत होऊँगा कि मुझे दिनांक से तक का विशेष
आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

2- उपरोक्त के तारतम्य में मैं यह घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) उक्त अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश का उपयोग केवल अपने संगठन के वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए ही करूँगा।
- (ख) सघ/संगठन के वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पूर्ण अनुशासन रखूँगा तथा कोई अवैधानिक कार्य जैसे शासन/कारपोरेशन के विरुद्ध पोस्टर लगाना, रैली निकालना, धरಾವ करना, प्रदर्शन करना, अनशन, हड़ताल आदि नहीं करूँगा और न ही शासन/कारपोरेशन के कार्य-स्थलों/कार्यालयों पर एकत्रित होऊँगा तथा कारपोरेशन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करूँगा।
- (ग) यदि ऐसा पाया गया कि मैं उपरोक्त संगठन का सदस्य नहीं हूँ या मैंने विशेष आकस्मिक अवकाश का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया या किसी और प्रकार का उत्सर्जन किया तो उस स्थिति में मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होऊँगा।

दिनांक-.....

भवदीय,

कर्मचारी के हस्ताक्षर

कर्मचारी का नाम व पदनाम

नियुक्ति ईकाई/स्थान